राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक :एफ.3(3)(1)रोल/निर्वा/2015/674 दिनांक : 11 फरवरी 2016

प्रेषकः **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ,**
राजस्थान।

विषयः **मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन के दौरान प्राप्त आवेदनों के निस्तारण बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 11 जनवरी 2016 को राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची 2016 का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसी के साथ राज्य के सभी 45334 मतदान केन्द्रों की भागवार फोटोरहित मतदाता सूची – 2016 विभाग की वेबसाइट पर आमजन के अवलोकनार्थ प्रकाशित की जा चुकी है।

इसी क्रम में लेख है कि दिनांक 11 जनवरी 2016 को मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2016 के निरन्तर अद्यतन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस प्रक्रिया में दिनांक 12 जनवरी 2016 से प्राप्त नये आवेदनों को मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन के दौरान निस्तारित किया जायेगा तथा इस अवधि के दौरान स्वीकार्य किये गये आवेदनों के आधार पर मतदाता सूचियों का पूरक–7 तैयार किया जावेगा।

मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2016 के दौरान निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुडवाने, कटवाने अथवा संशोधन करवाने के लिये मतदाताओं को ऑन लाईन सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एन.वी.एस.पी. पोर्टल तैयार कर प्रारम्भ किया था जिसमें सम्पूर्ण देश से काफी मात्रा में ऑन लाईन आवेदन प्राप्त हुये थे। राज्य में भी इस दौरान लगभग 35000 आवेदन आयोग के एन.वी.एस.पी पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त हुये है। जिनके निस्तारण किया जाना वर्तमान में शेष है।

यद्यपि राज्य में सेवानियोजत मतदाताओं की मतदाता सूची के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्व में ही विभाग ने ऑनलाईन कर दिया है जिसे गत एक वर्ष में राज्य के सभी निर्वाचक पंजीकरण

अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है अब इसी क्रम में आयोग के निर्देशानुसार राज्य में सामान्य मतदाता सूचियों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को भी दिनांक 11 जनवरी 2016 से पूर्णतया ऑन लाईन किया जा रहा है। इस ऑन लाईन ई.आर.एम.एस. सिस्टम में राज्य के सभी 200 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के यूजर नेम एवं पासवर्ड सृजित किये जा चुके है। विभाग ने एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा आयोग के एन.वी.एस.पी. पोर्टल से प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदनों को सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के अकाण्उट में स्थानान्तरित कर दिया है।

मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन के दौरान ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. के माध्यम से तैयार किये जाने वाले कम्प्यूटीकृत पूरक–7 के सम्बन्ध में कृपया निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेः–

1. एन.वी.एस.पी. पोर्टल मे प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदनों को ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर के माध्यम से डाउनलोड कर उनकी एक सूची मुद्रित की जावे।
2. उक्त प्राप्त आवेदनों की जॉच कर यह सुनिश्चित करे कि उक्त आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाईन माध्यम के साथ साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2016 में सम्बन्धित मतदाता केन्द्र पर भी पृथक से आवेदन तो नही कर दिया गया था। यदि आवेदनकर्ता द्वारा पृथक से आवेदन किये गये आवेदन का सम्बन्धित ई.आर.ओ द्वारा पूर्व में निस्तारण कर दिया गया है तो ऐसे ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सम्बन्धित ई.आर.ओ. द्वारा सीधे ही निरस्त किया जा सकता है।
3. शेष रहे आवेदनों की जॉच सम्बन्धित भाग के बूथ लेवल आधिकारी से करवाकर यह सुनिश्चित करे कि आवेदनकर्ता सम्बन्धित भाग में निवास करता है अथवा नही । साथ ही वह मतदाता सूची में नाम जुडवाने/कटवाने/संशोधन कराने के लिये सही पात्र है अथवा नही । आवश्यकता होने पर सम्बन्धित मतदाता को सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशयः सुनवाई के लिये भी निर्देशित किया जा सकता है।
4. प्राप्त ऑनलाईन आवेदन कि सम्बन्धित भाग के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा करायी जा रही जॉच के दौरान आवेदन फार्म पर सम्बन्धित मतदाता के हस्ताक्षर लिये जावे तथा यदि मतदाता ने पूर्व मे ऑनलाईन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है तो उक्त दस्तावेज एवं आवेदन पत्र पर मतदाता की फोटो भी बूथ लेवल अधिकारी द्वारा आवेदक की जॉच के दौरान प्राप्त कर लिये जावे।
5. सम्बन्धित भाग के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा की गई जॉच, आवेदनकर्ता द्वारा अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये आवश्यक दस्तावेजों एवं सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशयः सुनवाई (यदि आवश्यक हो तो), के आधार पर सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण

अधिकारी उक्त आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेकर अपने निर्णय को ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर पर भी अपडेट करेंगे।

6. सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये आवेदनों को ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर पर भी अपडेट करने के साथ ही उक्त आवेदन सम्बन्धित भाग के पूरक–7 में जुड जायेगे। पूरक–7 में आवेदनों को जोडने की प्रकिया निरन्तर चलती रहेगी। पूरक–7 में आवेदन जोडने का कार्य समाप्त होने पर पूरक–7 का मुद्रण किया जावेगा। पूरक–7 में आवेदन जोडने की अन्तिम तिथी विभाग द्वारा पृथक से अवगत करायी जावेगी।

7. आयोग के एन.वी.एस.पी. पोर्टल से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के अतिरिक्त प्राप्त फार्मो चाहे वह सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुये हो अथवा सीधे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में किसी भी माध्यम से प्राप्त हुये हो उन प्राप्त सभी आवेदनों का भी इन्द्राज (डाटा एन्ट्री) विभागीय ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर में कराया जाना अनिवार्य है।

8. उक्त आवेदनो की भी सम्बन्धित भाग के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा पृथक से जॉच करायी जाकर उनको स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर में अपडेट करना अनिवार्य है। इस प्रकिया में भी स्वीकार किये गये आवेदन मतदाता सूची के पूरक–7 में सम्मलित हो जायेगे।

9. विभागीय ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर में प्रत्येक इन्द्राज किये गये आवेदन को स्वतः ही एक यूनिक फार्म नम्बर दिया जावेगा जिसके आधार पर न केवल भविष्य में इस आवेदन की स्थिति ज्ञात कि जा सकेगी अपितु उक्त आवेदन की सूचना सीधे ही निर्वाचन आयोग के सर्वर में संधारित किये जा रहे मतदाता सूचियों के राष्ट्रीय डाटाबेस में अपडेट हो जायेगी।

10. **उक्त ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त दिनांक 11 जनवरी, 2016 के पश्चात् निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा सभी माध्यमों से प्राप्त आवेदन पत्रों को भी इस ऑनलाइन ई.आर.एम.एस. सॉफ्वेयर के माध्यम से ही कम्प्यूटरीकरण किया जाना हैं। यदि दिनांक 11 जनवरी, 2016 से लेकर इस दिशा–निर्देश की प्राप्ति के मध्य यदि किसी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने पुराने ऑफ्लाइन सॉफ्वेयर के माध्यम से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया हैं तो उन आवेदन पत्रों की भी एन्ट्री इस ऑनलाइन ई.आर.एम.एस. सॉफ्वेयर के माध्यम से पुनः कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा ऑनलाइन ई.आर.एम.एस. सॉफ्वेयर के माध्यम से तैयार होने वाले पूरक–7 में इन आवेदनों को सम्मिलित/मुद्रण नहीं हो पायेगा।**

11. ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर को विभाग के सर्वर से डाउनलोड कर इन्स्टाल करने एवं इसके प्रचालन के दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ अनुलग्न–1 पर संलग्न है। ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर को काम में लेने के लिये सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के यूजर नेम व पासवर्ड वही काम आयेगे जो कि वर्तमान में उनके द्वारा सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची को ऑनलाईन बनाने के काम में लिये जा रहे है।

12. ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर के इन्स्टालेशन एवं प्रचालन में तकनीकी सहयोग के लिये विभाग ने पृथक से एक ई–मेल अकाउण्ट rajnerms@gmail.com सृजित किया है। अतः सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में सभी पत्राचार इस ई–मेल अकाण्उट पर प्रेषित करें।

13. नया सोफ्टवेयर विभाग ने Google Drive पर अपलोड कर दिया है तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के Gmail Account को Google Drive से अटैच कर दिये है। आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सोफ्टवेयर Google Drive से डाउनलोड कर Install करने का श्रम करे तथा इस कार्य में आ रही किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के लिये rajnerms@gmail.com पर ई–मेल प्रेषित करे। उक्त सोफ्टवेयर को Install करने के विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग ने अपने पत्र कमांक 2424 दिनांक 30.6.2015 के द्वारा पूर्व में जारी किये जा चुके है जो कि विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध भी है।

14. इस कम में विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक 2424 दिनांक 30.06.2015 के तकनीकी दिशा–निर्देश एवं पूर्व में प्रयोग में लिये जा रहे पासवर्ड इस कार्य के लिये भी यथावत रहेगे। उक्त दिशा–निर्देश विभाग की बेवसाइट (http://ceorajasthan.nic.in) के Circular Option पर कम संख्या 223 व 224 पर उपलब्ध है।

कृपया उक्त निर्देशों को अपने जिले के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों एवं अनुबन्धित फर्म के ध्यान में लाया जाकर, इन निर्देशों की समयबद्व पालना सुनिश्चित करावें।

11/2/2016

(डॉ. गोविन्द शर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्रमांक :एफ.3(3)(1)रोल/निर्वा/2015/ दिनांक 11 फरवरी 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (आई.टी.) निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (आई.टी.) निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री डी. के. मिश्रा, मैसर्स रील, विभागीय एस.एल.ए., जयपुर।

(राजेश यादव)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी